



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1840]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2013/श्रावण 16, 1935

No. 1840]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2013/SRAVANA 16, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

का.आ. 2410(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 20 मई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1289 (अ), दिनांक 20 मई, 2009 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

S.O. 2410(E).—In exercise of powers conferred by Section 11 of the the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S. O. 1289 (E), dated the 20th May, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 20th May, 2009, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/18/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2013

का.आ. 2411(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

- “25 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2बी, सं. 6 [किमी 0.00 से किमी 183.200 (कोलकाता से झारखंड/पश्चिम बंगाल सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 31 [किमी 447.000 से किमी 470.000 और किमी 476.150 से किमी 551.00 (डलकोला से गोशपुकर, सिलीगुड़ी के निकट) तक खंड को छोड़कर], सं. 31 सी [किमी 228.00 (सलसलाबाड़ी) से किमी 254.500 (संकोश) तक खंड को छोड़कर], सं. 31डी (नई रास सं. 27), सं. 32, सं. 34 [किमी 31.00 (बारासात) से किमी 452.70 (डलकोला) तक खंड को छोड़कर], सं. 60 [खड़गपुर से रानीगंज तक खंड और पांडेश्वरा—दुआराजपुर सूरी को जोड़ते हुए रानीगंज के निकट रास-2 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मोरेग्राम के निकट रास-34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग], सं. 35, सं. 55, 60ए, और सं. 117 [किमी 0.00 से किमी 7.16 तक (कोना एक्सप्रेस मार्ग का प्रारंभिक छोर) और जोका से बक्खाली तक किमी 21.80 से किमी 137 तक], सं. 80, सं. 81, नई रास सं. 114ए, सं. 116बी और नई रास सं. 131ए, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/18/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण :-मूल अधिसूचना को. सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1961 (अ) 02 जुलाई, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2013

S.O. 2411(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the the National Highways Act, 1956 (48of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 25 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

- “25 National Highways No. 2B, No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km. 183.200 (from Kolkata to Jharkhand/West Bengal Border)], No. 31 [(excluding from Km. 447.000 to Km. 470.000 and from Km. 476.150 to Km. 551.00 (Dalkhola to Ghospukur near Siliguri)], No. 31C [excluding from Km. 228.00 (Salsalabari) to Km. 254.500 (Sankosh), No. 31D (new NH No. 27)], No. 32. No. 34 (excluding from Km. 31.00 (Barrasat) to Km. 452.70 (Dalkhola), No. 60 [portion from Kharagpur to Raniganj and the highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Suiri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram], No. 35, No. 55, No. 60A and No. 117 [from Km. 0.0 to Km. 7.16 (beginning of Kona Expressway) and Km. 21.80 to Km. 137 from Joka to Bakkhali], No. 80, No. 81, new NH No. 114A, new NH No. 116B and new NH No. 131A as are situated within the State of West Bengal.

State Govern-
ment of West
Bengal”

[F.No. NH-14013/18/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note :—The principal notification was published vide number S. O. 1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S. O. 1961 (E), dated the 2nd July, 2013.